न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 02/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये तहसीलदार मेडता		1जीयाराम पुत्र भीकाराम जाति जाट निवासी मोकलपुर 2धर्माराम पुत्र प्रतापराम जाति जाट निवासी मोकलपुर 3मोतीराम पुत्र भीकाराम जाति जाट निवासी मोकलपुर 4विशनाराम पुत्र भीकाराम जाति जाट निवासी मोकलपुर 5मैनेजर, एक्सिस बैंक, शाखा मोकाला।

उपस्थिति–

1– श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से।

3– श्री ओमप्रकाश फूलफगर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5 की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.03.2021

(1) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा मोकलपुर के पुराना खसरा नं. 846 रकबा 25.03 बीघा गै.मु. अंगोर भूमि के हाल खसरा नं. 2858 रकबा 3.07 हैक्ट. व खसरा नं. 2801 रकबा 1.00 हैक्ट. बने है। मिसल बंदोबस्त संवत 2000 मे यह भूमि गै.मु. अंगौर दर्ज थी। जो जमाबंदी संवत 2018–21 मे सोना पुत्र लादू दरोगा के नाम दर्ज हुई तथा सोना के फोत होने पर उसके उतराधिकारियो के नाम नामान्तरकरण सं. 645 के दर्ज हुई। तत्पश्चात नामान्तरकरण सं. 2818 के भीका पुत्र हेमा, धर्मा पुत्र प्रताप के नाम आयी। तत्पश्चात तहसील मेडता के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराना खसरा नं. 846 रकबा 25.03 बीघा के नये खसरा नं. 2858 रकबा 3.07 हैक्ट. व खसरा नं. 2801 रकबा 1.00 हैक्ट. की किस्म बारानी – 1 दर्ज कर दी तथा भीकाराम फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण सं. 1217 दर्ज हुआ तथा नामान्तरकरण सं. 2373 के एक्सिस बैंक मोकाला के रहन होने क़ा अंकन आया। संवत 2000 मे गै.मु. अंगौर भूमि का भू प्रबन्ध के दौरान गलत रूप से खातेदारी सोना पुत्र लादू के नाम दर्ज हुई है। जो कालांतर मे अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो रखे है, को निरस्त करवाए जाने को लेकर प्रस्तुत रेफरेन्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 4 की तरफ से श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता तथा अप्रार्थी सं. 5 की ओर से श्री ओमप्रकाश फूलफगर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी तहसीलदार ने अपने रेफरेन्स प्रकरण के साथ मिलान क्षेत्रफल मौजा मोकलपुर खसरा नं. 2858, 2861 की फोटोप्रति, मौजा मोकलपुर की जमाबंदी सं. 2064–67, 2054–57, 2026–29, 2022–25 तथा 2018–21 की प्रति, मौजा मोकलपुर के नामान्तरकरण सं. 645 व 2818 की फोटोप्रति, मौजा मोकलपुर की जमाबंदी संवत 2067–70 व 2076 की प्रति, मौजा मोकलपुर के नामान्तरकरण सं.

अपर कलक्टर, नागौर

2373 व 1217 की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट सं. 1036/2003 की फोटोप्रति, मिसल बंदोबस्त संवत 2020 की फोटोप्रति पेश की गई है।

(3) उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि –

(3)(1) ग्राम मोकलपुर का पुराना खसरा नं. 846 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा जिसके नवीन भूप्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन खसरा नं. 2858, 2861 रकबा कुल दोनो खसरो 4.07 हैक्टर बने है।

(3)(2) मिसल बंदोबस्त संवत 2020 मे खसरा नं. 846 रकबा 25.03 बीघा गै.मु. अंगोर के रूप मे दर्ज है।

(3)(3) जमाबंदी संवत 2014–17 व 2018–21 मे सोना पुत्र लादू के नाम किस्म अंगौर सीधे ही खाते मे दर्ज कर दी गई है। तत्पश्चात सोना फौत होने पर उसके उतराधिकारियो के नाम जमाबंदी संवत 2022 से 2025 एवं 2026–29 मे आयी है। नामान्तरकरण सं. 2818 के द्वारा भीकाराम पुत्र हेमाराम व धर्माराम पुत्र प्रतापराम के नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेडता के आदेश से अंकन आया है तथा भीकाराम फौत होने पर उसके वारिसान के नाम दर्ज हुए है।

(3)(4) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है तथा वादग्रस्त भूमि दिनांक 15.08.1947 के पहले से ही गैर मुमकिन अंगौर थी। इसलिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना व अन्य न्यायिक निर्णयों की पालना में उक्त भूमि की अप्रार्थीगण की खातेदारी को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि को पुनः राजकीय भूमि नाडी के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

(3)(5) विवादित भूमि गै.मु. अंगौर है। जो सार्वजनिक रूप से उपयोग की भूमि है। इस भूमि के किसी भी भू भाग पर किसी भी तरह का कब्जा करने व बरसात के पानी में रूकावट करने का कोई किसी तरह का विधिक अधिकार नही है। क्योंकि अप्रार्थीगण को जो खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। वह बिल्कुल ही शून्य अवैध है तथा शून्य प्रभाव के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि पर कब्जा करने व हस्तान्तरण आदि करने का कानूनी रूप से कोई अधिकार नही होता है तथा आराजी भूमि पानी का भराव क्षेत्र होने से ऐसी भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन, नियमन व खातेदारी अधिकार दिया जाना वर्जित है। ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार देय नही होने से आवंटन निरस्त किया जाना चाहिये।

(4) वकील अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने राजकीय वकील की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आराजी भूमि शुरू से बारानी प्रथम की भूमि रहती आयी है तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से गै.मु. अंगौर दर्ज किया गया है। आराजी भूमि का पानी किसी नाडी तालाब मे नही जाता है तथा न ही इस भूमि का सार्वजनिक उपयोग है। इसलिये रेफरेन्स निरस्तनीय है।

(5) उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार –

(5)(1)– मौजा मोकलपुर (मोकाला) के पुराना खसरा नं. 846 रकबा 25.03 बीघा गै.मु. अंगोर भूमि के हाल खसरा नं. 2858 रकबा 3.07 हैक्ट. व खसरा नं. 2801 रकबा 1.00 हैक्ट. बने है। जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है।

(5)(2)– प्रश्नगत भूमि की किस्म आधार तिथि 15.08.1947 को गै.मु. अंगौर होने की पुष्टि खतोनी मौजा मोकाला संवत 2000 से प्रकट है।

अपर कलक्टर, नागौर

(5)(3)– उक्त भूमि संवत 2014 से 2017 एवं 2018 से 2021 व 2022 से 2025 की जमाबंदी मे सोना पुत्र लादू दरोगा सा.देह के नाम से खसरा नं. 846 रकबा 25.03 बीघा अंगौर के रूप मे दर्ज किया जाना प्रस्तुत जमाबंदी से प्रकट होता है। सोनाराम फौत होने पर उसके उतराधिकारियो के नाम नामान्तरकरण सं. 645 व इसके बाद नामान्तकरण सं. 2818 के खातेदारी अप्रार्थी सं. 1, 3 व 4 के पिता भीकाराम व अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम के नाम दर्ज हुई तथा हाल भू प्रबन्ध के दौरान उक्त खसरे के नये खसरा नं. 2858 रकबा 3.07 हैक्ट. व खसरा नं. 2801 रकबा 1.00 हैक्ट. बनाये जाकर भूमि की किस्म अंगोर के स्थान पर बारानी – 1 दर्ज कर दी गयी है। जबकि ऐसा करने का भू प्रबन्ध अधिकारी को कोई अधिकार नही है।

(5)(4)– गोचर, पायतन, अंगौर आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत नियमन / आंवटन से प्रतिबंधित भूमियां है तथा इस प्रकार की भूमियो के खातेदारी अधिकार प्रदत नही किये जा सकते है।

(5)(5)– माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन सं. 1536/03 मे निर्णय दिनांक 02.08.2004 मे प्रदत निर्देशो के अनुसार केचमेंट एरिया की भूमि को पूर्ववत लाये जाने के आदेश है।

(6) उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मोकलपुर के पुराना खसरा नं. 846 रकबा 25.03 बीघा गै.मु. अंगोर भूमि के हाल खसरा नं. 2858 रकबा 3.07 हैक्ट. व खसरा नं. 2801 रकबा 1.00 हैक्ट. भूमि के रूप मे बिना किसी आदेश के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सोना पुत्र लादू दरोगा की खातदोरी दर्ज करने तथा उसके फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 645 के द्वारा उतराधिकारियो के नाम दर्ज करने एवं नामान्तरकरण सं. 2818 के अप्रार्थी सं. 1, 3 व 4 के पिता भीकाराम व अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम के नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेडता के आदेश क्रमांक राजस्व / 05 /1127–28 दिनांक 19.09.2005 दर्ज करने एवं तत्पश्चात भीकाराम फौत होने पर उसके वारिसान उक्त अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण सं. 1217 के खातेदारी अंकन तथा नामान्तरकरण सं. 2373 के द्वारा एक्सिस बैंक शाखा मोकाला के पक्ष मे रहन इन्द्राज आया है, से संबंधित जमाबंदी संवत 2014 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त कर राजस्व रेकर्ड मे अंगौर के रूप मे पूर्ववत स्थिति बहाल करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

(7) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर